

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION
IN THE FIELD OF SPORTS AND YOUTH AFFAIRS**

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

The Government of the Republic of India represented by the Ministry of Youth Affairs and Sports, and the Government of the State of Kuwait represented by the Public Authority for Youth and Sports, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as "The Parties".

Desiring to further promote and strengthen the existing friendly relations and cooperation between the two countries in the field of Youth Affairs and Sports,

Seeking to encourage and develop their cordial bilateral relationship through exchange of programmes aimed at sportsmen and related personnel and youth for mutual benefit,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

GENERAL OBJECTIVES

This Memorandum of Understanding (MOU) shall provide the necessary framework for promoting bilateral cooperation in the field of sports and youth affairs on the basis of reciprocity and mutual benefit, in accordance with the laws and regulations applicable in the respective States of the Parties and the manner described in this MOU.

ARTICLE II

COOPERATION IN SPORTS

In order to fulfil the aforesaid objectives, the Parties shall work towards strengthening their bilateral cooperation in sports, including through:

- a) exchange of youth/junior sports teams in various disciplines such as Badminton, Basketball, Cricket, Football, Shooting, Squash, Swimming, Tennis, Table Tennis and Volleyball;
- b) exchange of experts, coaches and officials in order to share experiences and expertise and interaction through meetings, conferences and symposia;
- c) training and research cooperation in the fields of technology, infrastructure, doping and other areas related to sports;
- d) sharing of literature and other material, information, documentation and films for development of sports; and
- e) other areas deemed necessary in the field of sports and agreed upon for mutual benefit within the framework of this MOU.

ARTICLE III

COOPERATION IN YOUTH AFFAIRS

In order to fulfil the aforesaid objectives, the Parties shall work towards strengthening their bilateral cooperation in the field of youth affairs, including through:

- a) participation in each others' seminars, exhibitions and conferences on regional and international matters for youth and to promote understanding of culture and civilization of both States;
- b) exchange of experts and officials in order to share both academic and practical experiences and expertise through meetings, conferences and symposia in the field of youth affairs;
- c) sharing of literature and other material, information, documentation and films about youth, youth policies, youth development programmes and youth organizations;
- d) exchange of youth delegations comprising of 10 to 20 youth and representatives of youth organizations for a period of 5 to 7 days to get familiarization with youth organizations and youth development programmes; and
- e) other areas deemed necessary in the field of youth affairs and agreed upon for mutual benefit within the framework of this MOU.

ARTICLE IV

FINANCING

The exchange of sports delegations, teams, coaches, officials and youth groups shall be carried out in accordance with an annual schedule that shall be agreed upon by the Parties. The host Party shall pay for accommodation, subsistence, internal surface transport during the stay of the visiting delegations/teams in the territory of the host Party and medical care in case of emergency. The visiting Party shall pay the return air tickets, including internal travel as per the programme agreed by the two Parties. In the case of travel in furtherance of the interests of only one of the Party, such Party shall pay all costs.

This MOU will constitute a general framework for collaboration between both Parties, hence signing the same will not entail any financial obligations.

ARTICLE V

IMPLEMENTATION

The Parties shall agree on the implementation and development of schedules within the framework of this MOU through meetings, mail and other means. Each Party shall be responsible for coordinating the implementation of the parts of the schedule concerning such Party. The Parties shall sign the schedules in the last quarter of the year prior to its implementation.

The Parties will form a Joint Committee comprising officials of both States which will convene a meeting whenever required to prepare the programme for cooperation within the framework of this MOU.

ARTICLE VI

AMENDMENTS

This MOU may be amended at any time through mutual written consent of the Parties.

ARTICLE VII

DISPUTE RESOLUTION

Any dispute arising in connection with the interpretation or application of this MOU shall be amicably settled through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE VIII

ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND TERMINATION


This Memorandum of Understanding shall enter into force from the date on which the Government of the Republic of India receives a written notification from the Government of the State of Kuwait through diplomatic channels of its completion of necessary internal procedures.

This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five years from the date of its entry into force and shall be renewed automatically for successive periods of one year, unless either of the Parties notifies through diplomatic channels the other Party in writing about its intention to terminate it six months before its expiration date.

The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the initiated or ongoing activities and projects.


Done at New Delhi on this Eighth (8th) day of November of 2013 in two originals, each in Hindi, Arabic and English languages, each being equally authentic and valid holds the same legal effect. However, in case of doubt regarding interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of
the Republic of India**



**(Jitendra Singh)
Minister of State (IC) of
Youth Affairs and Sports**

**For the Government of
the State of Kuwait**



**(Anas Al-Saleh)
Minister of Commerce and
Industry**

**भारतीय गणतंत्र की सरकार
और
कुवैत राज्य की सरकार
के बीच
खेल और युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में सहयोग पर
समझौता ज्ञापन**

भारतीय गणतंत्र की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा कुवैत राज्य की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में युवा और खेल लोक प्राधिकरण जिन्हें इसके बाद वैयक्तिक रूप से "पक्ष" के रूप में और संयुक्त रूप से "पक्षों" के रूप में उल्लिखित किया गया है, ने

युवा कार्यक्रम और खेल के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को और बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने की इच्छा से

परस्पर लाभ के लिए खिलाड़ियों तथा संबंधित कार्मिकों पर केंद्रित कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के माध्यम से अपने सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए निम्नानुसार समझौता किया है:

**अनुच्छेद ।
सामान्य उद्देश्य**

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के संबंधित राज्यों में लागू कानूनों और विनियमों तथा इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार पारस्परिकता तथा आपसी लाभ के आधार पर खेल और युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक रूपरेखा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद II

खेलों में सहयोग

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों पक्ष निम्नलिखित के माध्यम से खेलों में अपने द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करेंगे:

क) विभिन्न खेल विधाओं यथा बैडमिंटन, बास्केटबाल, क्रिकेट, फुटबाल, निशानेबाजी, स्कवैश, तैराकी, टेनिस, टेबल टेनिस और वालीबाल में युवा/ जूनियर खेल टीमों का आदान-प्रदान;

ख) बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से अनुभवों और विशेषज्ञता तथा आपसी विचार-विमर्श के आदान-प्रदान के लिए विशेषज्ञों, कोचों और अधिकारियों का आदान-प्रदान;

ग) प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, डोपिंग तथा खेलों से संबंधित अन्य विषयों के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग;

घ) खेलों के विकास के लिए साहित्य और अन्य सामग्री, सूचना, प्रलेखन दस्तावेजों, तथा चलचित्रों का आदान-प्रदान; और

ड.) खेलों तथा इस समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के भीतर आपसी लाभ के आधार पर सम्मत क्षेत्रों में आवश्यक समझे गए अन्य विषय।

अनुच्छेद III

युवा कार्यक्रम में सहयोग

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों पक्ष निम्नलिखित के माध्यम से युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करेंगे:

क) युवाओं के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर एक दूसरे के सेमिनारों, प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में भागीदारी तथा दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता को समझने की भावना को प्रोत्साहित करना;

ख) युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से शैक्षणिक तथा व्यावहारिक अनुभवों और विशेषज्ञता दोनों का आदान-प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों और अधिकारियों का आदान-प्रदान;

ग) युवाओं, युवा संबंधी नीतियों, युवा विकास कार्यक्रमों और युवा संगठनों के बारे में साहित्य और अन्य सामग्री, सूचना, प्रलेखन दस्तावेजों, तथा चलचित्रों का आदान-प्रदान;

घ) युवा संगठनों और युवा विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 से 7 दिन की अवधि के लिए 10 से 20 युवाओं और युवा संगठनों के प्रतिनिधियों से संबंधित युवा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान खेलों के विकास के लिए साहित्य और अन्य सामग्री, सूचना, प्रलेखन दस्तावेजों, तथा चलचित्रों का आदान-प्रदान; और

ड.) युवा कार्यक्रम तथा इस समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के भीतर आपसी लाभ के आधार पर सम्मत क्षेत्रों में आवश्यक समझे गए अन्य विषय।

अनुच्छेद IV

वित्तपोषण

दोनों पक्षों की सहमति से निर्धारित एक वार्षिक अनुसूची के अनुसार खेल शिष्टमंडलों, टीमों, कोचों, अधिकारियों और युवा समूहों का आदान-प्रदान किया जाएगा। मेजबान पक्ष के राज्य-क्षेत्र में आगंतुक शिष्टमंडलों/टीमों के ठहरने के दौरान आवास, भरण-पोषण, आंतरिक भू परिवहन तथा आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा के लिए भुगतान मेजबान पक्ष करेगा। आगंतुक पक्ष दोनों पक्षों द्वारा सम्मत कार्यक्रम के अनुसार आंतरिक यात्रा सहित विमान वापसी टिकटों के लिए

भुगतान करेगा। किसी केवल एक पक्ष के हितों के संबंध में यात्रा के मामले में वही पक्ष समस्त व्यय का भुगतान करेगा।

यह समझौता जापन दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए एक सामान्य रूपरेखा तैयार करेगा, इसलिए इस पर हस्ताक्षर होने से कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद V

कार्यान्वयन

दोनों पक्ष बैठकों, पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से इस समझौता जापन की रूपरेखा के अनुसार कार्यान्वयन और विकास पर सहमत होंगे। प्रत्येक पक्ष उस पक्ष से संबंधित अनुसूची के कार्यों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। दोनों पक्ष इसके कार्यान्वयन से पूर्व वर्ष की अंतिम तिमाही में अनुसूचियों पर हस्ताक्षर करेंगे।

दोनों पक्ष एक संयुक्त समिति बनाएंगे जिसमें दोनों देशों के अधिकारी होंगे जो इस समझौता जापन की रूपरेखा के अनुसार सहयोग के लिए आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तैयार करने हेतु बैठक बुलाएंगे।

अनुच्छेद VI

संशोधन

यह समझौता जापन दोनों पक्षों की परस्पर लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद VII

विवाद समाधान

इस समझौता जापन की व्याख्या या कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को दोनों पक्षों के बीच आपसी परामर्श या वार्ता से शान्तिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा।

अनुच्छेद VIII
प्रभाव में आना, वैधता और पर्यावसान


यह समझौता जापन भारतीय गणतंत्र की सरकार को कुवैत राज्य की सरकार से इसकी आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के राजनयिक माध्यमों से एक लिखित अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से प्रभाव में आएगा।

यह समझौता जापन इसके प्रभाव में आने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभाव में रहेगा और एक वर्ष की क्रमिक अवधि के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगा, बशर्ते कि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष इसकी समाप्ति की तारीख से छह महीने पहले इसे समाप्त करने के विचार से दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यमों द्वारा लिखित में अधिसूचित करे।

इस समझौता जापन के पर्यावसान से शुरू की गई या चालू कार्यकलापों और परियोजनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नई दिल्ली में 8 नवम्बर, 2013 को दो मूल प्रतियों में, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं में हस्ताक्षरित, प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक और वैध तथा इनका समान विधिक प्रभाव होगा। तथापि, व्याख्या के संबंध में कोई शंका होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।


भारतीय गणतंत्र की
सरकार के लिए



(जितेन्द्र सिंह)

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

कुवैत राज्य की
सरकार के लिए



(अनस अल-सालेह)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री